

प्रेषक

सेवा में

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुडगांव (हरियाणा)।
2. अधिष्ठाता अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अम्बाला, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद-1, 11 व 11A, गुडगांव-1 व 11 तथा हिसार।
3. उप श्रम आयुक्त, पानीपत, पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव-1 व 11, हिसार तथा रोहतक।
4. उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, अम्बाला, पानीपत, गुडगांव-1 तथा हिसार।
5. सहायक श्रम आयुक्त, अम्बाला, यमुनानगर-1, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत-1, बहादुरगढ़, भिवानी, सिरसा, पलवल, कैथल, जीन्द तथा मेवात।
6. सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, यमुनानगर-1, कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात, रेवाड़ी, सोनीपत-1, रोहतक, भिवानी तथा सिरसा।
7. उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, गुडगांव-2 व फरीदाबाद।

क्रमांक:-/बी-1/-2015/

दिनांक:-

32/27-73  
19/8/15

विषय:-

वर्ष 2016-2017 का बजट अनुमान भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

आपको इस पत्र के साथ फार्म बी एम-2 व बी एम-10 (एनैक्शचर 1 व 2) भेजते हुये अनुरोध किया जाता है कि उनमें वर्ष 2016-17 का सही बजट अनुमान दिनांक 15.9.2015 तक हर हालत में मुख्यालय को ऑनलाईन तथा हार्डकोपी को भेजना सुनिश्चित करें ताकि वित्त विभाग को वर्ष 2016-17 का बजट अनुमान स्वीकृति हेतु भेजा जा सके बजट अनुमान भेजते समय बजट हैड की स्टैम्प आवश्यक लगाए। यह स्मरण रहे कि इस सम्बन्ध में यदि देरी हुई तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी।

इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान की **Computerized** टाईप प्रति भेजे तथा इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस-2 मद से सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतन बनाया जाता है उसका बजट हैड अलग-2 अंकित किया जाए ताकि बजट बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई न आए।

प्रायः यह भी देखा गया है कि मासिक खर्च की मासिक रिपोर्ट भी समय पर प्राप्त नहीं हो रही है जिस कारण बार-2 पत्राचार व टैलिफोन करने पड़ते हैं। मासिक खर्च की रिपोर्ट्स प्राप्त न होने के कारण महालेखाकार हरियाणा के कार्यालय में खर्च का मिलान करने में भी कठिनाई आती है और कार्य पूरा न होने के कारण वेतन बिलों तथा अन्य बिल कोषाधिकारी के कार्यालय से पास करने पर रोक लगा दी जाती है।

मासिक खर्च की रिपोर्ट माह समाप्ति के पश्चात अगले माह की 10 तारीख तक वोचर न0 तथा तिथि सहित निर्धारित प्रोफार्मा में हर हालत में भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

कृप्या इसे परम अग्रता दें।

पृष्ठांकन क्रमांक:-बी-1/2015/ 3274

दिनांक:- 19/8/15

लेखा अधिकारी  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

इसकी एक प्रति अनुलग्नक सहित अनुभाग अधिकारी, बजट अनुभाग कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा को भी भेजकर अनुरोध किया जाता है कि वह मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बजट अनुमान उपरोक्त तिथि तक बजट अनुभाग को उपलब्ध करवायें।

लेखा अधिकारी  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

**B.M.2**  
**Paragraphs- 3.2,3.5,3.6,4.5,4.6,,4.7,4.8,4.11,5.17,(B) (a) and Appendix H**

**Annexure-I**  
**Form BM-2**  
**Major HEAD**

Major HEAD SUB MAJOR HEAD MINOR HEAD STANDARD OBJECT OF EXPENDITURE	Budget 2015-2016	Accounts 2013-2014	Actuals of previous year 2014-2015 for last 6 months	Actuals of current year 2015-2016 for first 6 months	Revised Estimate 2015-2016 Proposed by Head of Deptt.	Budget Estimate 2016-2017 Proposed by Head of Deptt.	Remarks
Salaries							
D.A.							
Leave Travel Concession							
Medical Allowance							
Stipend/Scholarship							
Travel Expenses							
Office Expenses							
POL							
Material & Supplies							
Rent Rate and Taxes							
Wages							
Motor Vehicle							
Grant-in-aid							
Foreign Allowance							
Other Charges							
Others (p1 Specify as selected form-Annexure- VI according to the requirement.)							
Total							

Note: In the case of Irrigation Branch 6+6 months actuals need not be supplied for any head except "Maintenance and Repairs" and "establishment".

